1 प्रथम अध्याय : शोध प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। भारत जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक देश में शिक्षा की प्रभावशीलता विशेष रूप से भाषा शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा बालकों के बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान कराना नहीं, बल्कि बच्चों में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उन्हें सृजनात्मक रूप से सोचने की क्षमता प्रदान करना भी होता है। हिंदी भाषा के शिक्षण में बाल साहित्य एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है।

हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा होने के साथ-साथ हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक और नैतिक मूल्यों की धरोहर है। भाषा का शिक्षण केवल व्याकरण और शब्दावली तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह बालकों के संपूर्ण मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास में सहायक होता है। विशेषकर प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए बाल साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाल साहित्य न केवल बच्चों में भाषा कौशल का विकास करता है, बल्कि उनके नैतिक, चारित्रिक और बौद्धिक स्तर को भी समृद्ध करता है।

बाल साहित्य बच्चों के मानसिक स्तर, रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जिससे वे सहजता से भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कहानियाँ, कविताएँ, नाटक, चित्र कथाएँ एवं लोककथाएँ शामिल होती हैं, जो न केवल भाषा को रोचक बनाती हैं, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों एवं रचनात्मकता का भी संचार करती हैं।

प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए भाषा शिक्षण की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाने में बाल साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करता है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति क्षमता को भी निखारता है। सरल और सरस भाषा में लिखी गई कहानियाँ और कविताएँ बच्चों को हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित करती हैं और उन्हें पढ़ने तथा समझने की प्रवृत्ति विकसित करने में सहायक होती हैं।

बाल साहित्य के माध्यम से बच्चों को नए शब्द, वाक्य संरचना, व्याकरण एवं उच्चारण की जानकारी सहजता से प्राप्त होती है। यह शिक्षण को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि

अनुभवात्मक और संवादात्मक बनाता है। इसके अतिरिक्त, बाल साहित्य बच्चों में सामाजिक मूल्यों, संस्कारों एवं समसामयिक विषयों की समझ विकसित करने में भी सहायक होता है।

इस शोध प्रबंध का उद्देश्य **"प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में बाल साहित्य की भूमिका"** का विश्लेषण करना है। इसमें यह अध्ययन किया जाएगा कि बाल साहित्य किस प्रकार भाषा शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाता है तथा बालकों के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान देता है।

1.2 शिक्षा: अर्थ एवं परिभाषा

'शिक्षा' शब्द संस्कृत की 'शिक्ष' धातु से निकला है, जिसका अर्थ है – सीखना-सिखाना, जानना या बौद्धिक विकास करना। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव अपने जीवन के उद्देश्य, व्यवहार, ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्यों को अर्जित करता है।

संसार के महान नेता महात्मा गाँधी ने कुछ समय पूर्व कहा था कि शिक्षा और जीवन का क्षेत्र समान होना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह जीवन की रक्षा कर सके। ऐसी बात पहली बार किसी सामाजिक और आध्यात्मिक नेता ने कही थी। दूसरी ओर, विज्ञान ने भी इस बात का अनुमोदन किया है कि समस्त जीवन के लिए शिक्षा का विस्तार व्यवहार में सम्भव हो सकता है। **(श्रीवास्तव, 2006)**

महात्मा गांधी ने कहा कि "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से।" **(अग्रवाल & भोला, 2014)**

डॉ० ए० एस० अल्तेकर का कथन है – "ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है, तथा उसे सही कार्यों में प्रवृत्त करता है।" **(श्रीवास्तव, 2006)**

अरस्तु के अनुसार – "शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम् सत्य, शिव तथा सुन्दर के चिंतन का आनन्द उठा सके।" **(अग्रवाल & भोला, 2014)**

महाभारत का कथन है – "नास्ति विद्या समं चक्षु नास्ति सत्यं समं तपः॥" जिसका अर्थ है – "विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता।" **(श्रीवास्तव, 2006)**

"शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।" **(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)**

शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाती है। पशुत्व में संकीर्णता तथा देवत्व में विशदता निहित होती है। दूसरे शब्दों में – मानवीय मूल्यों का विकास करने में शिक्षा की महती आवश्यकता होती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से सम्पन्न करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में निरंतर चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करता है, ज्ञान और कौशल प्राप्त करता है, और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यह व्यक्ति को समाज में सकारात्मक योगदान करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

1.3 शिक्षा के स्तर

भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को निम्नलिखित चार चरणों में बाँटा गया है **(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)**:

1.3.1 Foundational Stage (3-8 वर्ष)

इस चरण में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और यह कुल 5 वर्षों का होता है, जिसमें 3 वर्ष पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (आँगनवाड़ी, नर्सरी, के.जी.) और 2 वर्ष कक्षा 1 एवं 2 शामिल होते हैं। यह चरण बच्चों के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा विकास की नींव रखता है। इसमें शिक्षा को खेल आधारित, गतिविधि केंद्रित और खोजपरक बनाया गया है, जिससे बच्चे सहज रूप से सीख सकें। मातृभाषा या स्थानीय भाषा को इस स्तर पर शिक्षण का प्रमुख माध्यम बनाने की सिफारिश की गई है ताकि बच्चों को अपनी भाषा में सोचने और अभिव्यक्त करने में आसानी हो।

1.3.2 Preparatory Stage (8-11 वर्ष)

यह चरण 3 वर्षों (कक्षा 3 से 5) का होता है और इसमें बच्चे औपचारिक विषयों की ओर अग्रसर होते हैं। इस स्तर पर पठन-पाठन, लेखन, गणितीय सोच, विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की मूलभूत जानकारी दी जाती है। शिक्षण पद्धति को अभी भी गतिविधि-आधारित, संवादात्मक एवं प्रयोगात्मक रखा गया है, ताकि छात्रों की रचनात्मकता और तार्किक क्षमता का विकास हो सके। यह चरण बच्चों को अधिक संगठित ढंग से सीखने के लिए तैयार करता है।

1.3.3 Middle Stage (11-14 वर्ष)

यह चरण कक्षा 6 से 8 तक का होता है, जिसमें विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को और अधिक गहराई तथा विविधता प्रदान की जाती है। इस स्तर पर विषयों को अधिक व्यवस्थित और अवधारणा

आधारित (conceptual) रूप में पढ़ाया जाता है। कोडिंग, व्यावसायिक शिक्षा, परियोजना आधारित शिक्षण और कौशल विकास की शुरुआत इसी चरण से होती है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह चरण शैक्षिक दृष्टि से परिवर्तनकारी माना गया है क्योंकि यही वह समय है जब छात्र अपनी रुचियों और क्षमताओं की पहचान करना शुरू करते हैं।

1.3.4 Secondary Stage (14-18 वर्ष)

यह अंतिम चरण कक्षा 9 से 12 तक फैला होता है और इसे दो उप-चरणों (9–10 और 11–12) में बाँटा गया है। इस स्तर पर शिक्षा को विषय-आधारित और बहुविकल्पीय बनाया गया है, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचियों, क्षमताओं और करियर लक्ष्यों के अनुरूप विषयों का चयन कर सकें। इस चरण में आलोचनात्मक सोच, संवाद कौशल, नैतिक शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और जीवन कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बोर्ड परीक्षाओं को अधिक योग्यता आधारित (competency-based) और वास्तविक मूल्यांकन केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे छात्र केवल रट्टा न मारें बल्कि विषयवस्तु को समझें और उसका व्यावहारिक उपयोग कर सकें।

इन चारों चरणों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पिछला 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण-शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। जो भारत की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समग्र, लचीली, समावेशी और कौशलोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आज यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जा चुका है कि मानव समाज की प्रगति का मार्ग केवल शिक्षा से होकर गुजरता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक चेतना, सामाजिक व्यक्तित्व और वैश्विक नागरिकता की भावना को जागृत करना होना चाहिए। सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को विकसित करने पर ध्यान दें, क्योंकि वही नए संसार की नींव रख सकते हैं। इस दिशा में प्राथमिक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है।

1.4 प्राथमिक शिक्षा: अर्थ एवं परिभाषा

प्राथमिक शिक्षा शिक्षा की वह प्रारंभिक अवस्था है, जहाँ बच्चे औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया से प्रथम बार जुड़ते हैं। यह शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास की आधारशिला होती है। यह न केवल साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की नींव रखती है, बल्कि बच्चों में नैतिक मूल्यों, सामाजिकता, अभिव्यक्ति, अनुशासन और रचनात्मकता का भी विकास करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, Preparatory Stage (प्राथमिक स्तर) कक्षा 3 से 5 तक फैली होती है, जो Foundational Stage के बाद आती है। यह स्तर बच्चों में पढ़ना, समझना, संवाद करना, गणना करना, और तर्क करना जैसी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है।

"प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों में बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता, और संज्ञानात्मक क्षमता का विकास करना है, जिसमें सीखना, जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना प्रमुख होता है।"
(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की प्रारंभिक कड़ी और उसकी आधारशिला होती है, जो बालक के सामाजिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात् यह शिक्षा प्रणाली की वह प्रथम सीढ़ी है जिस पर आगे की सम्पूर्ण शैक्षिक संरचना टिकी होती है। अतः यदि यह नींव मजबूत होगी, तो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की प्रगति भी सुनिश्चित हो सकेगी। इसे प्रारम्भिक, बुनियादी या आधारभूत शिक्षा जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनका मूल उद्देश्य एक ही होता है – बालक को समग्र विकास हेतु तैयार करना।

1.4.1 प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भारत सरकार ने भी प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कई कदम उठाए हैं। संविधान की धारा 45 में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य, संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। हालांकि यह लक्ष्य अभी पूरी तरह प्राप्त नहीं हो सका है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 1977 में इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिससे यह केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी बन गई। 86वें संविधान संशोधन के तहत

6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसे अब किसी भी बच्चे से वंचित नहीं किया जा सकता।

1.5 भाषा: अर्थ एवं परिभाषा

'भाषा' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'भाष्' धातु से हुई है जिसका अर्थ है 'भाष् व्यक्तायां वाचि' अर्थात् व्यक्त वाणी। 'भाष्यते व्यक्तवाग् रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा' अर्थात् भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। दूसरे शब्दों में, 'भाषा' का अर्थ है– विचारों, भावनाओं, जानकारियों आदि को व्यक्त करने का एक माध्यम। यह अभिव्यक्ति शब्दों, ध्वनियों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से की जाती है। भाषा से मनुष्य एक-दूसरे से संवाद कर पाता है।

कुछ विद्वानों ने भाषा को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है –

- **पतंजलि**– "व्यक्ता वाचि वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचः" अर्थात् जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। **(पाण्डेय & पाण्डेय, 2020)**
- **कामता प्रसाद 'गुरु'**– "भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं।" **(पाण्डेय & पाण्डेय, 2020)**
- **डॉ० श्याम सुन्दरदास**– "मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं।" **(पाण्डेय & पाण्डेय, 2020)**
- **डॉ० मंगलदेव शास्त्री**– "भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते है, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किये गये वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।" **(पाण्डेय & पाण्डेय, 2020)**
- **बाबू राम सक्सेना**– "जिन ध्वनि चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं।" **(पाण्डेय & पाण्डेय, 2020)**
- **डॉ० भोलानाथ तिवारी**– "भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके।" **(पाण्डेय & पाण्डेय, 2020)**

- **आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा**– "भाषा यादृच्छिक, रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं।" **(पाण्डेय & पाण्डेय, 2020)**

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि "भाषा यादृच्छिक, मानव मुख से उच्चारित सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान करते हैं।"

1.5.1 भाषा की अवधारणा

भाषा कोई ठोस वस्तु नहीं है जिसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर यह कहा जा सके कि यही भाषा है। इसका कोई भौतिक आकार, रूप अथवा रंग नहीं होता, जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। तो फिर भाषा क्या है?

भाषा वस्तुतः एक व्यवस्था (System) है, जो पूर्णतः अमूर्त होती है। व्यवस्था का तात्पर्य होता है– ऐसी संरचना जिसमें एक से अधिक तत्व होते हैं, और वे तत्व कुछ निश्चित नियमों के अधीन एक-दूसरे से संबद्ध होते हैं। इस प्रकार, भाषा को एक नियोजित एवं संगठित अमूर्त संरचना के रूप में समझा जा सकता है, जो अपने घटकों (जैसे– ध्वनि, शब्द, व्याकरण आदि) तथा नियमों के द्वारा कार्य करती है। **(प्रसाद, भाषा और भाषा प्रोद्योगिकी, 2020)**

सूत्र रूप में इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

भाषा = (इकाइयाँ + नियम) ⟶ एक सुसंगठित अमूर्त प्रणाली

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्थित प्रणाली (System) है, जिसकी मूलभूत इकाई स्वनिम (Phoneme) होती है। स्वनिम ऐसे ध्वनि प्रतीक होते हैं जो स्वयं में अर्थहीन होते हैं। किसी भी भाषा में स्वनिमों की संख्या सीमित होती है– जैसे हिंदी में लगभग 50 स्वनिम माने जाते हैं; किन्तु इन स्वनिमों में से कोई भी एक अकेले प्रयोग होने पर अर्थ प्रदान नहीं करता।

उदाहरणस्वरूप, हिंदी के कुछ स्वर और व्यंजन देखें :

- **स्वर** – अ, आ, इ, ई, ...
- **व्यंजन** – क, ख, ग, घ, ...

इनमें से यदि केवल ‘अ/ आ/ इ/ ई’ अथवा ‘क/ ख/ ग/ घ’ को अलग-अलग देखा जाए, तो उनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं बनता। जैसे, 'क' शब्द सुनकर कोई निश्चित अर्थ-छवि मन में नहीं उभरती। परन्तु जब इन स्वनिमों को अन्य स्वनिमों के साथ संयोजित किया जाता है, तब वे अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करते हैं।

उदाहरण के लिए:

- **कन** = किसी चीज का बहुत छोटा अंश या टुकड़ा
- **कर** = टैक्स या हाथ

जब हम इसी शब्द में ‘आ’ स्वर मात्र के रूप में जोड़ दें, तब:

- **कान** = सुनने की इँद्रिय
- **कार** = परिवहन हेतु वाहन

इस प्रकार, भाषा की अर्थवत्ता स्वनिमों के अकेले प्रयोग में नहीं, बल्कि उनके संयोजन और संदर्भ में निहित होती है। यही कारण है कि भाषा को केवल ध्वनि का संग्रह न मानकर, एक सुसंगठित एवं नियमबद्ध अर्थ-निर्माण की प्रक्रिया समझा जाना चाहिए।

अतः स्पष्ट है कि भाषा एक सुसंगठित व्यवस्था है, जिसके माध्यम से व्यक्ति न केवल विचार करता है, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ साझा भी करता है। हमारे मस्तिष्क में विचारों, भावनाओं एवं सूचनाओं का जो संग्रह होता है, उसे भाषाविज्ञान की दृष्टि से ‘अर्थ’ (Meaning) कहा जाता है। इन अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम ध्वनियों (Sounds) का उपयोग करते हैं। इस प्रकार भाषा, ध्वनि और अर्थ के मध्य एक सेतु का कार्य करती है।

विचारों के संप्रेषण की इस प्रक्रिया में दो प्रमुख पक्ष होते हैं– **वक्ता** (Speaker) और **श्रोता** (Listener)। सबसे पहले वक्ता के मन में कोई विचार (Idea) उत्पन्न होता है, जिसे वह भाषा के नियमों के अनुसार ध्वनियों के रूप में रूपांतरित करता है और उसे मुख से उच्चरित करता है। यह उच्चरित ध्वनि तरंगों के रूप में श्रोता तक पहुँचती है, जहाँ उसका मस्तिष्क उन ध्वनियों से अर्थ ग्रहण करता है।

इस संप्रेषणीय प्रक्रिया में भाषा की दोहरी भूमिका होती है :

- **वक्ता के लिए,** विचारों को ध्वनि-समूहों (शब्दों/वाक्यों) में बदलने की।
- **श्रोता के लिए,** उन ध्वनियों से अर्थ को पुनः ग्रहण करने की।

अतः भाषा केवल शब्दों का समुच्चय नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है जो विचारों के आदान-प्रदान को संभव बनाती है। शब्दों और वाक्यों के रूप में व्यवस्थित ध्वनि-समूहों के माध्यम से व्यक्ति न केवल संप्रेषण करता है, बल्कि सामाजिक संबंध, ज्ञान, संस्कृति और चेतना का निर्माण भी करता है।

1.6 हिंदी भाषा

हिंदी भाषा भारत की राजभाषा (Official Language) है और विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक मानी जाती है। यह इंडो-आर्यन भाषा परिवार की सदस्य है और इसका विकास संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और खड़ी बोली के क्रमिक रूपांतरण से हुआ है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो एक ध्वन्यात्मक लिपि है। इसकी ध्वनि, संरचना, शब्द भंडार एवं व्याकरणिक प्रणाली इसे एक सशक्त और वैज्ञानिक भाषा बनाती है।

हिंदी उत्तर भारत की संपर्क भाषा होने के साथ-साथ प्रशासन, शिक्षा, साहित्य, और संचार का भी सशक्त माध्यम है। वर्तमान में यह भाषा भारत के विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, और दिल्ली आदि में व्यापक रूप से बोली, पढ़ी और समझी जाती है। यह संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में प्रमुख स्थान रखती है और संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, "हिंदी भारत संघ की राजभाषा होगी और इसका लिप्यांकन देवनागरी लिपि में किया जाएगा।"

इस प्रकार हिंदी भाषा न केवल एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, बल्कि यह भारत की आत्मा और संस्कृति की संवाहक है। यह भाव, विचार, ज्ञान, कल्पना और राष्ट्रीय चेतना की वाहक है। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी की भूमिका विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ यह बच्चों के व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक बौद्धिकता और रचनात्मकता को सहज रूप से अभिव्यक्त करने में सहायक होती है।

1.7 भाषा शिक्षण: अर्थ एवं परिभाषा

भाषा शिक्षण का तात्पर्य है– किसी भाषा को व्यवस्थित रूप से सिखाने की प्रक्रिया, जिसमें बच्चों को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल व्याकरण या शब्द याद कराना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में भाषाई कौशलों का समग्र विकास कर भाषा के प्रयोग में दक्ष बनाना है, ताकि वे अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकें।

अर्थात् भाषा शिक्षण एक सुनियोजित शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों को भाषा की चार मूल दक्षताओं– सुनना/श्रवन, बोलना/भाषण, पढ़ना/पठन और लिखना/लेखन का अभ्यास कराया जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम हिंदी भाषा सिखाते हैं तो केवल शब्द या व्याकरण नहीं, बल्कि संवाद, भाव, अभिव्यक्ति और समझ भी विकसित करते हैं।

प्रो. धनजी प्रसाद के अनुसार, "औपचारिक रूप से भाषा सिखाने की प्रक्रिया' भाषा शिक्षण कहलाती है।" **(प्रसाद, भाषा और भाषा प्रोद्योगिकी, 2021)**

भाषा शिक्षण केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं, बल्कि एक जीवंत, संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को भाषा के संरचनात्मक, संप्रेषणात्मक और व्यावहारिक पक्षों से परिचित कराया जाता है। अतः एक सफल भाषा शिक्षण वह है, जो बच्चों को बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने के लिए उत्साहित करे तथा उन्हें भाषा का प्रयोग करने में सक्षम बनाए।

1.8 साहित्य: अर्थ एवं परिभाषा

साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है– 'सहित' और 'अ्य'। 'सहित' शब्द का अर्थ है हित के साथ (स + हित)। अर्थात वह सामग्री या रचना जो समाज के हित में हो, वह साहित्य कहलाती है। सीधे शब्दों में कहें तो, साहित्य वह रचना है जो मनुष्य के विचारों, भावनाओं, अनुभवों और कल्पनाओं को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है।

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा– "निखिल विश्व के साथ एकत्व की साधना ही साहित्य है।" **(सर्वेश, 2012)**

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार– "प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। जनसामान्य की वृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है।" **(पाण्डेय श. , 2014)**

प्रस्तुत परिभाषा से स्पष्ट होता है कि साहित्य उस समय, समाज, संस्कृति और परंपरा तक हमारी पहुँच को भी सुनिश्चित करता है जहाँ तक हमारी भौतिक पहुँच संभव नहीं रह जाती है। अतः साहित्य केवल कल्पना नहीं, बल्कि समाज का दर्पण होता है, जो समाज की सच्चाइयों, संघर्षों, संस्कारों और संवेदनाओं को शब्दों में ढालता है तथा समाज के बौद्धिक, सांस्कृतिक और नैतिक पक्षों को उजागर करते हुए संवेदनशीलता और मानवीयता का विकास करता है।

शिक्षण के क्षेत्र में साहित्य की भूमिका:

- शिक्षक साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों के भाषा कौशल, भावना, और विचार क्षमता का विकास करते हैं।
- विशेषकर बाल साहित्य, बच्चों को भाषा सीखने के साथ-साथ नैतिक मूल्यों और जीवन-दृष्टि से भी जोड़ता है।
- कहानियाँ, कविताएँ और नाटक छात्रों में रुचि, अनुकरण, और सहभागिता को बढ़ाते हैं।

इस प्रकार साहित्य केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि जीने की कला है। यह न केवल मनोरंजन करता है बल्कि शिक्षण और चिंतन का भी माध्यम है। यदि हम बच्चों को भावनात्मक, नैतिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो साहित्य को उनके जीवन और शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा।

1.9 बाल साहित्य: अर्थ एवं परिभाषा

बाल साहित्य वह साहित्य है जो विशेष रूप से बच्चों की आयु, मानसिक स्तर, रुचि, कल्पनाशक्ति और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए रचना किया जाता है। यह साहित्य बालकों के मनोविज्ञान के अनुरूप होता है, जिसमें उनकी जिज्ञासा, संवेदनशीलता, बौद्धिक स्तर और भावनात्मक पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। सरल शब्दों में, वह समस्त साहित्य जो बच्चों के लिए उनकी समझ और रुचि के अनुसार लिखा गया हो, बाल साहित्य कहलाता है। इसमें कहानियाँ, कविताएँ, लोरियाँ, बाल नाटक, चित्रकथाएँ, लोककथाएँ, हास्य रचनाएँ, बाल उपन्यास, संस्मरण, शिक्षाप्रद लेख तथा बाल-पत्रिकाएँ आदि सम्मिलित होते हैं। यह साहित्य मनोरंजन के साथ-साथ नैतिक शिक्षा, भाषा विकास, सामाजिक मूल्यों की समझ, कल्पनाशक्ति के विस्तार और विचारशीलता को प्रोत्साहित करता है।

बाल साहित्य का प्रमुख उद्देश्य न केवल बच्चों का मनोरंजन करना है, बल्कि उन्हें विभिन्न जीवन मूल्यों से जोड़ना, भाषा की सौंदर्यता का अनुभव कराना और उन्हें आत्म-अभिव्यक्ति तथा रचनात्मकता की ओर उन्मुख करना भी है। बाल साहित्य के माध्यम से बच्चे स्वर, शब्द और विचारों के प्रयोग में दक्ष होते हैं, जो उनकी शैक्षिक सफलता का आधार बनता है। आज के संदर्भ में बाल साहित्य न केवल परंपरागत कहानियों तक सीमित है, बल्कि यह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, तथा अन्य समसामयिक विषयों को भी रोचक और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार यह बच्चों के समग्र विकास– शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक आदि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रसिद्ध साहित्यकार **डॉ. हरिकृष्ण देवसरे** के अनुसार, "बाल साहित्य वह साहित्य है, जिसमें बाल मन की जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, साहस, कौतुहल, एवं संस्कारों का समन्वय होता है।"

डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम तथा **जवाहर इंदु** ने कहा– "बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किए बिना कोई भी रचनाकार स्वस्थ एवं सार्थक बाल साहित्य का सृजन नहीं कर सकता। यह बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि बच्चों के लिए साहित्य लिखना सबके बस की बात नहीं है। बच्चों का साहित्य लिखने के लिए रचनाकार को स्वयं बच्चा बन जाना पड़ता है। यह स्थिति तो बिल्कुल परकाया प्रवेश वाली है।" **(आकांक्षा, 2024)**

बाल साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान **सोहनलाल द्विवेदी** ने बाल साहित्य को स्पष्ट करते हुए कहा है– "बाल साहित्य वही है जिसे बच्चा सरलता से अपना सके और भाव ऐसे हो जो बच्चों के मन को भाए, यूं तो साहित्यकार बालकों के लिए लिखते रहते हैं किंतु सचमुच जो बालकों के मन की बात बालकों की भाषा में लिख दे वही सफल बाल साहित्य लेखक है।" **(आकांक्षा, 2024)**

इस प्रकार बाल साहित्य बच्चों के स्वाध्यायन को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उन्हें नए और रोमांचक ज्ञान के साथ परिचित कराती हैं और उनकी भाषा, बुद्धि और सामाजिक दक्षता को विकसित करने में मदद करती हैं।

1.9.1 शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बाल साहित्य की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल साहित्य को भाषा शिक्षण और समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा (Foundational Stage एवं Preparatory Stage) में बाल साहित्य के माध्यम से शिक्षण को बाल-केंद्रित, अनुभव-आधारित और रचनात्मक बनाया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के दौरान बाल साहित्य का समावेश बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। इसकी प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

1. भाषा कौशल का विकास: बाल साहित्य सुनने, पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता को विकसित करता है।
2. शिक्षण को रुचिकर बनाना: कहानियाँ और कविताएँ बच्चों को नीरस भाषा शिक्षण से बचाती हैं और रुचि बढ़ाती हैं।

3. संस्कारों का संचार: नैतिक शिक्षाप्रद कहानियाँ बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने में सहायक होती हैं।
4. रचनात्मकता का विकास: बाल साहित्य बच्चों में कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है।
5. सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्य: बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों से परिचित कराता है।

1.10 शोध की आवश्यकता

शोध शब्द अंग्रेज़ी के research शब्द का हिंदी रूपांतरण है। research स्वयं दो शब्दों– 're' तथा 'search' से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है: "पुनः खोज" या "फिर से तलाश करना"। इस दृष्टि से, शोध का तात्पर्य उस व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से किसी विषय में नवीन ज्ञान की प्राप्ति की जाती है अथवा पूर्ववर्ती ज्ञान को नवदृष्टि से देखा और समझा जाता है। यह एक ऐसी बौद्धिक एवं तार्किक गतिविधि है, जो मनुष्य की जिज्ञासा और ज्ञान-पिपासा को संतुष्ट करने हेतु की जाती है। शोध न केवल किसी समस्या के समाधान की दिशा में एक प्रयास होता है, बल्कि यह किसी विषय के गहन विश्लेषण, तथ्य-परक परीक्षण और नवीन निष्कर्षों की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया भी है।

पी. वी. यंग: "शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषयवस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अन्तः सम्बन्ध, कार्य कारण व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। **(मंगल & मंगल, 2014)**

अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी, 1967: "शोध से अभिप्राय तथ्यों एवं प्रनियमों की खोज हेतु किसी विषय विशेष में की जाने वाली परिश्रमपूर्ण एवं सुव्यवस्थित पूछताछ या जाँच पड़ताल से है।" **(मंगल & मंगल, 2014)**

वर्तमान यांत्रिक और परीक्षा-केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बाल साहित्य की उपेक्षा हो रही है, जबकि यह बच्चों के भाषा कौशल, रचनात्मकता, और नैतिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य, जैसे कहानियाँ, कविताएँ, और चित्रकथाएँ, न केवल बच्चों को भाषा सीखने में मदद करती हैं, बल्कि उनकी सोच, संवाद और सामाजिक मूल्यों को भी विकसित करती हैं।

आज के डिजिटल युग में बच्चों का ध्यान किताबों से हटकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी और रुचिकर बनाने के लिए बाल साहित्य का उपयोग अनिवार्य हो गया है। यह शोध बाल साहित्य के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण को रोचक, प्रभावी और समृद्ध बनाने के तरीकों पर गहन अध्ययन करेगा, ताकि बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को सहज और आकर्षक बनाया जा सके।

1.11 समस्या कथन

"प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में बाल साहित्य की भूमिका"

1.12 अध्ययन का उद्देश्य

1. बाल साहित्य का बच्चों के अध्ययन से उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना।
2. बाल साहित्य का बच्चों के अध्ययन से उनके भाषा शैली में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. पढ़ने की आदत में परिवर्तन का विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रभाव का अध्ययन करना।

1.13 अध्ययन में शामिल पदों की संक्रियात्मक परिभाषाएं

वर्तमान शोध अध्ययन के अनुसार तीन प्रमुख पद हैं, जिसकी संक्रियात्मक परिभाषाएँ निम्नलिखित है, जो शोध की प्रकृति और सीमाओं को स्पष्ट करती हैं:

1.13.1 प्राथमिक स्तर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, शिक्षा को विभिन्न चरणों में बाँटा गया है, जिसमें Foundational, Preparatory, Middle और Secondary स्तर प्रमुख हैं। इस शोध में प्राथमिक स्तर से आशय नीति के Preparatory Stage से है, जो कक्षा 3 से 5 तक की अवधि को कवर करता है। यह वह अवस्था है जहाँ बच्चों की मौलिक भाषा दक्षताओं, संज्ञानात्मक क्षमताओं एवं सामाजिक व्यवहार की नींव को सुदृढ़ किया जाता है।

वर्तमान शोध में "प्राथमिक स्तर" का सीमित और संक्रियात्मक संदर्भ बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के जलालपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से लिया गया है। यह वह स्तर है जहाँ हिंदी भाषा का औपचारिक शिक्षण आरंभ होता है और बाल साहित्य का प्रयोग अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

1.13.2 हिंदी शिक्षण

हिंदी शिक्षण का उद्देश्य न केवल भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाना है, बल्कि उसे संवाद, अभिव्यक्ति और चिंतन के माध्यम के रूप में स्थापित करना भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षण को बच्चे के परिवेश से जुड़ा, अर्थपूर्ण एवं बाल-केन्द्रित बनाने की वकालत करती है। नीति इस बात पर बल देती है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण प्रारंभिक वर्षों में अधिक प्रभावी होता है।

इस शोध के संदर्भ में "हिंदी शिक्षण" का आशय उस समस्त शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षकों द्वारा हिंदी भाषा को बाल साहित्य, संवाद, गतिविधियों एवं रचनात्मक अभ्यासों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें भाषा की चारों मूल दक्षताएँ– सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल होती हैं, और यह बाल साहित्य के संदर्भ में विश्लेषित की जाती है।

1.13.3 बाल साहित्य

बाल साहित्य शिक्षा का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो बच्चों के मनोवैज्ञानिक, भाषाई और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि "शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान के साथ-साथ कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और मूल्यों का विकास भी होना चाहिए।" बाल साहित्य इन सभी पहलुओं को आत्मसात करता है।

इस शोध में 'बाल साहित्य' को एक शिक्षण उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कहानियाँ, कविताएँ, चित्रकथाएँ, लोककथाएँ, बाल नाटक, बाल गीत, तथा बाल पत्रिकाएँ सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को रुचिकर और संवादी तरीक़े से भाषा से जोड़ना तथा उनके भीतर कल्पना शक्ति, सहानुभूति और भावनात्मक बौद्धिकता का विकास करना है।

1.14 अध्ययन का सीमांकन

किसी भी शोध कार्य की स्वाभाविक विशेषता होती है कि वह किसी सीमित क्षेत्र, समय, संसाधन, अथवा विधि के अंतर्गत संचालित होता है। प्रस्तुत अध्ययन भी पूर्णतः एक नियत सीमा में रहते हुए सम्पन्न किया गया है। निम्नलिखित बिंदुओं में इस शोध की प्रमुख सीमाओं का उल्लेख किया जा रहा है:

- **भौगोलिक सीमांकन:**

  यह अध्ययन बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के जलालपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित है। अतः इसके निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर या अन्य जिलों/राज्यों पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता।

- **शैक्षिक स्तर का सीमांकन:**

  अध्ययन में केवल कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इससे निम्न (कक्षा 1-2) या उच्च कक्षाओं (6वीं के आगे) के छात्रों की हिंदी अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण इस अध्ययन के अंतर्गत नहीं किया गया।

- **प्रतिचयन सीमाएं:**

  प्रतिचयन की प्रक्रिया में गैर-संभाव्यता नमूनाकरण विधि के अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण अपनाई गई है, जिससे परिणामों की सामान्यीकरण की संभावना सीमित हो जाती है।

- **उपकरण सीमाएँ:**

  डेटा संकलन के लिए प्रयोग में लाई गई प्रश्नावलियाँ शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए भिन्न-भिन्न रूप में तैयार की गईं। यद्यपि उनकी वैधता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, फिर भी उत्तरदाता की समझ, ईमानदारी और तत्परता अध्ययन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

- **समय एवं संसाधन सीमा:**

  अध्ययन एक सीमित समयावधि एवं सीमित संसाधनों के अंतर्गत सम्पन्न किया गया, जिससे अधिक विस्तृत प्रतिचयन अथवा अन्य क्षेत्रीय तुलना का अवसर नहीं मिल सका।

1.15 शोध प्रश्न

1. प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में बाल साहित्य का क्या स्थान है?
2. बाल साहित्य का उपयोग विद्यार्थियों के भाषा अधिगम एवं रचनात्मक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है?
3. शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक बाल साहित्य की उपयोगिता को किस रूप में स्वीकार करते हैं?
4. क्या बाल साहित्य की प्रभावशीलता को लेकर इन तीनों हितधारकों (शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक) के दृष्टिकोणों में कोई महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है